

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

स्वच्छता को लेकर शहर में आई परिवर्तन की लहर

स्वच्छता सर्वेक्षण -2021 के तहत शहर के कचरामुक्त स्थलों पर रांगोली निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम निरन्तर जारीए लोगों ने कहां यह अभियान लोगों को एकता और स्वच्छता के सूत्र में बांध रहा है

रतलाम 12 फरवरी । स्वच्छता अभियान न सिर्फ गंदगी हटाने का एक जरिया हैए बल्कि यह अभियान समाज को एकता के सूत्र में भी बांधता है। शुक्रवार को शहर के आधा दर्जन क्षेत्रों में स्वच्छता का संदेश देते हुए जब रांगोली का निर्माण कर दीप दान कराया गया तो लोगों का कहना था कि स्वच्छता अभियान से समाज में परिवर्तन आया है। लोग न सिर्फ अपने घर के सामने से गंदगी हटा रहे हैं बल्कि उत्साह के साथ गलियों और सडकों को भी साफ कर रहे हैं।

नागरिकों ने कहां कि पहले सफाई को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता थाए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को एक मुहिम से जोड़ दियाए जिसके कारण लोग भी स्वच्छता अभियान में काफी उत्साह से भाग लेते हैं।

इस मौके पर बंसतीलाल चोपड़ा ने कहां कि पहले हम केवल अपने घर की ही सफाई करते थेए लेकिन स्वच्छता का असली महत्व अपनी कॉलोनी और शहर को साफ करने में योगदान देना है। स्वच्छता अभियान से जुडकर काफी अच्छा लगा। गृहणी नेहा वर्मा ने कहां कि स्वच्छता अभियान को जनमानस में उतारना जरूरी है। जब तक समाज का एक एक नागरिक स्वच्छता अभियान से नहीं जुडेगा। हमारा शहर सम्पूर्ण तरीके से साफ नहीं हो सकता।

श्रीमती सलोनी वसुनिया ने कहां मेरे पूरे परिवार ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। पहले पार्क में झाड़ू लगाने के बारे में सोचना भी अजीब लगता थाए लेकिन अब स्वच्छता अभियान में भाग लेने में काफी आनंद आया। राधा मालवीय ने कहां कि नगर निगम ने जब से चलाए गए स्वच्छता अभियान की बागडोर संभाली। स्वच्छता अभियान को लेकर

ज्यादातर नागरिक में उत्साह है। युवा वर्ग के लोगों ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में केवल एक दिन सफाई करने से सड़कें, पार्क और गलियां साफ नहीं होंगी। हमें स्वच्छता अभियान को अपनी आदत का हिस्सा बनाना होगा। अशोक पंवार ने कहा कि स्वच्छता अभियान को लोगों को अपने जीवन में अपनाना होगा। तभी जाकर प्रतिदिन सफाई हो सकेंगे। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करना चाहिए।

प्रवीण सोनी ने बताया कि सफाई करने के लिए झाड़ू पकड़ने में किसी को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। कई लोग साफ सफाई चाहते हैं लेकिन खुद झाड़ू पकड़ने से गुरेज करते हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान शुक्रवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीपदान किया गया है।

निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने लगवाया कोरोना का टीका

रतलाम 12 फरवरी | फ्रंट लाईन वर्करो को लगाये जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड

में नगर निगम के मैदानी व कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का टीका लगवाया।

वेदव्यास कालोनी में सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर नागरिकों ने 25ए09ए144६ संपत्तिकर व 6ए38ए470६ जलकर जमा कराया रतलाम 12 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किफ्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ए कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रियदर्षनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकांे ने अब तक आयोजित शिविरों मेेे 25ए09ए144६ संपत्तिकर व 6ए38ए470६ जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 के लिये 15 फरवरी को वेदव्यास कालोनीए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 16 फरवरी को कल्याण नगरए वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लिये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगरए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

654 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 12 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्री में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 12 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 654 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 12 फरवरी को ऑफिसर्स कालोनी डीआरपी लाईन व आनन्द कालोनी से 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500६ वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह एंड्रोन प्रभारी श्री किरण चौहान ए श्री पर्वत हाडे व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

113 दिनों में 142 वॉल्व व 762 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 12 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 12 फरवरी तक 142 वॉल्व व 762 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ रतलाम जलशक्ति अभियान ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 12 फरवरी शुक्रवार को महु रोड कलेक्टर कार्यालय के सामने ए हाकमवाड़ा ए प्रताप नगर ए मिशन कम्पाउण्ड ए राजस्व कालोनी ए थावरिया बाजार ए देवरा देव नारायण नगर ए सुभाष नगर ए वीआईपी नगर ए ईश्वर नगर रेलवे फाटक के पास ए कस्तुरबा नगर व हरमाला रोड फुल मण्डी के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास ए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य ए उपयंत्री श्री सुहास पंडित ए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव ए श्री देवेन्द्र पवार आदि के निर्देशन में की गई।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 12 फरवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो ए राशन कार्ड ए मतदाता परिचय

पत्रए आधार कार्डए समग्र आई.डी.ए निःशक्त प्रमाण-पत्रए मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 12 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 12 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4  
डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 12 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्ताए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों



तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/12<sup>00</sup>2<sup>00</sup>2021<sup>धन</sup>.पा.निगमए रतलाम.